संख्या- ०३/२०१५/ १७०/ सत्रह-म -२०१५ ।।-। अ (३) / २००६

प्रेषक

क्षेत्रपाल

उप सचिव

सेवा में

निदेशक मत्स्य

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 फरवरी २०१५

विषय केन्द्र परोनिधानित मत्स्य पालक विकास अभिकरण (सामान्य) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष २०१४ - १५ में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या - ४९ /नि0शा0/ दिनांक ३०-०१-२०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित मत्स्य पालक विकास अभिकरण जिला योजना के लिए वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के आय-व्ययक में कुल रू0 ८.०० लाख का प्राविधान है जिसमें रू0 ६०० लाख केन्द्राश तथा रू0 २०० लाख राज्यांश है। उक्त योजना ७५ प्रतिशत भारत सरकार के केन्द्राश तथा २५ प्रतिशत राज्यांश पोषित है। भारत सरकार से केन्द्रांश की स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप संख्या - बी-१/७९५/दस- २०१४ -२३१/ २०१४ दिंनाक १४-०३-२०१४ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि के लिए केन्द्राश रू0 १५०.०० लाख तथा राज्यांश ५०.०० लाख कुल मिलाकर रू0 २०० लाख (रू0 दो करोड) की धनराशि निदेशक मत्स्य के निर्वतन पर रखे जाने हेतु शासन के पत्र संख्या- १२७८/सत्रह-म- २०१४-।।-। अ (३) /२००६ दिनांक २४-०७-२०१४ द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका आहरण अभी तक नहीं हुआ है। अत: निदेशक मत्स्य के निर्वतन पर रखी गयी उक्त धनराशि रू0 २०० लाख की वित्तीय स्वीकृति सम्बंधी शासनादेश संख्या - १२६८/ सत्रह-म- २०१४ -।।-। अ(३) / २००६ दिनांक २४-०७-२०१४ द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति निरस्त की जाती है।

भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुधन एवं डेयरी मत्स्य विभाग के पत्र संख्या - ३१०१३/१०/०४ एफ0वाई0(०३) दिनांक २१-०१-२०१५ द्वारा केन्द्र पुरोनिधारित मत्स्य पालक विकास अभिकरण (सामान्य) योजनान्तर्गत वर्ष २०१४-१५ के लिए केन्दांश धनराशि रू0 २०० लाख (रू0 दो करोड) अवमुक्त कर दी गयी है। जिसमें २५ प्रतिशत राज्यांश रू0 ६६.६६७ लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 २६६.६६७ लाख (रू0 दो करोड छाछठ लाख छाछठ हजार सात सौ मात्र)की श्री राज्य पाल महोदय संलग्न तालिका में उल्लिखित जनपदवार फांट के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्षस्वीकृति प्रदान करते है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

१- उपरोक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों तथा गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा। यदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स /शर्तो का किसी भी प्रकार से विचलन होता है तो निदेशक मत्स्य का दायित्व होगा कि इस मामले की सूचना वित्त विभाग को पूर्ण विवरण सहित दे दी जाय ।

२- उक्त धनराशि के व्यय किये जाने में राज्य योजना के निर्देशों का अनुपालन सुनिशित किया जायेगा ।

३- स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष जनपदवार व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण तथा उपभोग प्रमाण - पत्र उपलब्ध कराया जायेगा । अवशेष जमा राशि का पूर्ण विवरण शासन को वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

४- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के अनुदान संख्या - १७ के अधीन लेखाशीर्षक २४०५ - मछली पालन - आयोजनागत - १९० सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता -०१ - केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनांए - ०१०१- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना) के.७५/रा. २५ के0+रा0) - २७ सब्सिडी के नामे डाला जायेगा ।

५- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - १ के कार्यालय ज्ञाप संख्या - बी- १ -१६८५ /दस - १६ / १९९२ दिनांक ०७ जुलाई१९९२ में प्रदत्त अधिकारों तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या - बी- १ -२४५७ /दस -२०१४ - २३१ / २०१४ दिनांक २२-०७-२०१४ में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

संख्या- ०३/२०१५/ १७०(१) /सत्रह-म -२०१५ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१- महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।

२- अनु सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या - ३१०१३/ १०/०४ - एफ0वाई0 (०३) दिनाक २१-०१-२०१५ के संदर्भ में

३- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ ।

४- वित्त (व्यय - नियत्रंण) अनुभाग-२ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग -१ नियोजन-३

५- कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

६- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

वर्ष २०१४-१५ में मत्स्य पालक विकास अभिकरण (सामान्य) योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या - ०३/२०१५/१७०/ सत्रह-म-२०१५ ।।-। - अ(३)/ २००६ दिनांक११ फरवरी २०१५ का संलग्नक -

क0 सं0	जनपद/ मण्डल का नाम	कुल परिव्यय	स्वीकृति धनराशि		
			राज्यांश	केन्द्रांश	योग
१	अलीगढ	१५०	१२१	३६३	४८४
२	हाथरस	३०	२४	७२	९६
३	एटा	२५	२०	६०	८०
४	कासगंज	३७९	३०४	९१२	१२१६
	अलीगढ मण्डल	५८४	४६९	१४०७	१८७६
५	आगरा	५	५	१५	२०
६	फिरोजाबाद	८०	६४	१९२	२५६
७	मैनपुरी	१००	८०	२४०	३२०
८	मथुरा	९५	७६	२२८	३०४
	आगरा मण्डल	२८०	२२५	६७५	९००
९	आजमगढ	१००	८०	२४०	३२०
१०	मऊ	१९०	१५३	४५९	६१२
११	बलिया	२०३	१६३	४८९	६५२
	आजमगढ मण्डल	४९३	३९६	११८८	१५८४
१२	इलाहाबाद	२००	१६१	४८३	६४४
१३	कौशम्बी	४०	३२	९६	१२८
१४	फतेहपुर	५०	४०	१२०	१६०
१५	प्रतापगढ	१०	१०	३०	४०
	इलाहाबाद मण्डल	३००	२४३	७२९	९७२
१६	कानपुरनगर	४०	३२	९६	१२८
१७	कानपुर देहात	८०	६४	१९२	२५६
१८	इटावा	२००	१६१	४८३	६४४
१९	औरैया	१००	८०	२४०	३२०
२०	फरूखाबाद	८	८	२४	३२

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

२१	कन्नौज	४५	३६	१०८	१४४
	कानपुर मण्डल	४७३	३८१	११४३	१५२४
२२	गोरखपुर	१००	८०	२४०	३२०
२३	महराजगंज	१००	८०	२४०	३२०
२४	देवरिया	०	०	०	०
२५	कुशीनगर	१७०	१३७	४११	५४८
	गोरखपुर मण्डल	३७०	२९७	८९१	११८८
२६	बस्ती	१००	८०	२४०	३२०
२७	संतकबीरनगर	२५	२०	६०	८०
२८	सिद्वार्थ नगर	९०	७२	२१६	२८८
	बस्ती मण्डल	२१५	१७२	५१६	६८८
२९	बॉदा	२५	२०	६०	८०
३०	चित्रकूट	१४०	११२	३३६	४४८
३१	हमीरपुर	११०	८८	२६४	३५२
३२	महोबा	१००	८०	२४०	३२०
	चित्रकूट मण्डल	३७५	३००	९००	१२००
३३	झांसी	१००	८०	२४०	३२०
३४	जलौन	५०	४०	१२०	१६०
३५	ललितपुर	१००	८०	२४०	३२०
	झांसी मण्डल	२५०	२००	६००	८००
३६	गोण्डा	१५	१२	३६	४८
३७	बलरामपुर	१५६	१२५	३७५	५००
३८	बहराइच	५२५	४२२	१२६६	१६८८
३९	श्रावस्ती	१०	१०	३०	४०
	देवीपाटन मण्डल	७०६	५६९	१७०७	२२७६
४०	फैजाबाद	७	७	२१	२८
४१	अम्बेडकर नगर	२५	२०	६०	८०
४२	सुल्तानपुर	१००	८०	२४०	३२०
४३	अमेठी	२५०	२०१	६०३	८०४
४४	बाराबंकी	१२५	१००	३००	४००
	फैजाबादमण्डल	५०७	४०८	१२२४	१६३२

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

४५	बरेली	२००	१६१	४८३	६४४
४६	बदायूँ	७०	५६	१६८	२२४
४७	शाहजहॉपुर	१४०	११२	३३६	४४८
४८	पीलीभीत	२००	१६१	४८३	६४४
	बरेलीमण्डल	६१०	४९०	१४७०	१९६०
४९	मिर्जापुर	७५	६०	१८०	२४०
५०	सोनभद्र	७०	५६	१६८	२२४
५१	संतरविदास नगर	१००	८०	२४०	३२०
	विन्ध्याचल मण्डल	२४५	१९६	५८८	७८४
५२	मुरादाबाद	१५०	१२१	३६३	४८४
५३	सम्भल	५०	४०	१२०	१६०
५४	अमरोहा	१००	८०	२४०	३२०
५५	रामपुर	२५०	२०१	६०३	८०४
५६	बिजनौर	१७०	१३७	४११	५४८
	मुरादाबाद मण्डल	७२०	५७९	१७३७	२३१६
५७	मेरठ	१००	८०	२४०	३२०
५८	बागपत	१०५	८४	२५२	३३६
५९	गाजियाबाद	३५	२८	८४	११२
६०	गौतमबुद्नगर	४३	३५	१०५	१४०
६१	हापुड	३०	२४	७२	९६
६२	बुलन्दशहर	५०	४०	१२०	१६०
	मेरठ मण्डल	३६३	२९१	८७३	११६४
६३	लखनऊ	१००	८०	२४०	३२०
६४	उन्नाव	१३०	१०४	३१२	४१६
६५	रायबरेली	३००	२४१	७२३	९६४
६६	सीतापुर	१००	८०	२४०	३२०
६७	हरदोई	१५०	१२१	३६३	४८४
६८	लखीमपुर खीरी	२५०	२०१	६०३	८०४
	लखनऊ मण्डल	१०३०	८३७	२४८१	३३०८
६९	वाराणसी	१००	८०	२४०	३२०
७०	चन्दौली	३००	२४१	७२३	९६४

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

७१	गाजीपुर	१००	८०	२४०	३२०
७२	जौनपुर	५०	४०	१२०	१६०
	वाराणसी मण्डल	५५०	४४१	१३२३	१७६४
७३	सहारनपुर	२५	२०	६०	८०
७४	मुजफरनगर	१५०	१२१	३६३	४८४
७५	शामली	५१	४१.७	१२५	१६६.७
	सहारनपुर मण्डल	२२६	१८२.७	५४८	७०३.७
	महायोग	८२९७	६६६६.७	२००००	२६६६६.७

(दो करोड छाछठ लाख छाछठ हजार सात सौ मात्र)

(क्षेत्रपाल)

उप सचिव ।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।